

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
गोपी बनाम गुलाब (वर्ग 5)

किरम मुकदमा प्र.पत्र 111-126 नं० 127 सन् 2021

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
9-21 8/12/21	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 12-10-21 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संगे अक्टोबर 2021 के मध्य ग्राम पंचायत आलमास मे पेश हुई अपाथीगण के सम्मान प्राप्त होकर प्राप्त 50 एवं परिवार हल्का परपारी डाटा विपरित पेश हुई जिसे शा-पं किया गया। धारणा का स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रक से लिखा था कि शा-पं किया गया। पत्रावली फैसल थुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>डॉ. पूरा मन्नेगा उपखण्ड अधिकारी, माण्डल प्रशासन गांवों के संगे अक्टोबर 2021</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 127/21 ज.प.ज

1- श्री गोपी श. श्री हांगा ब्लाई जिलासी- आलगास तहसील-मांडल --प्राथी

बनाम
1- श्री गुलाब श. गणेश ब्लाई जिलासी- आलगास तहसील-मांडल [कुर्मा]
(प्रसंकि 9) पर (संकेत)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 8.12.21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....आलगास.....पटवार हल्का.....आलगास.....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....1391/242.....कुल किता01.....रकबा.....0.5059 हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्राथी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....24.9.21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रवेलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा ही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक पद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....आलगास.....पटवार हल्का.....आलगास.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....1391/242.....कुल किता01.....रकबा.....0.5059 हेक्टेयर.....

मि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....आलगास.....को500/-.....पर्ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें । मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील नु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी-मांडल

मांडल, जिला-भीलवाड़ा 2021

तैलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021